UPAN010061442026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अम्बेडकर नगर

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1218/2026

अशोक कुमार त्रिपाठी आयु लगभग 53 साल पुत्र रामहर्ष तिवारी, निवासी साकुन विभाग गली ऑशिफ जौहरडीह अकबरपुर, थाना कोतवाली अकबरपुर,जनपद अम्बेडकर नगर

————————————आवेदक/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश ————————————————अभियोजन पक्ष

18.08.2026

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अधीन आवेदक/अभियुक्त अशोक कुमार त्रिपाठी की ओर से मु0अ0सं0–449/2026 अन्तर्गत धारा 69, 115(2), 352,351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द,ध व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.2026 को समय 15.37 बजे वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली अकबरपुर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की महिला है। प्रार्थिनी अपनी रोजी रोटी के लिए विपक्षी अशोक कुमार त्रिपाठी एडवोकेट के यहॉ लगभग 3 वर्ष से मुंशी के पद पर कार्य करती थी। प्रार्थिनी के पति ने छोड़ दिया है, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इसी का लाभ उठाते हुए विपक्षी अशोक कुमार त्रिपाठी ने अपने झांसे में लेकर विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूॅगा और निबियहवा पोखरा पर किराये का मकान लेकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो रिकार्ड कर लिया और उसी वीडियो को दिखाकर बार–बार जबरदस्ती बलात्कार व शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा और कह रहा है कि अगर मुझे छोड़कर जाओगी या किसी से बताओगी, कहीं शिकायत करोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूॅगा और कचहरी परिसर में आने नहीं दूॅगा, तुम्हें मुंशी पद से हटा दूॅगा तथा किसी फर्जी मुकदमे में फंसा कर सारी जिन्दगी जेल में सड़ा दूॅगा, मैं एक अधिवक्ता हूॅ। दिनांक 03.01.2026 से मेरी तबियत खराब थी फिर भी विपक्षी ने मुझे कचहरी बुलाया और लगभग दोपहर को विपक्षी जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए निबियहवा पोखरा पर किराये के मकान पर ले जाने के लिए दबाव बनाने लगा। प्रार्थिनी के मना करने पर प्रार्थिनी के साथ मारपीट करते हुए मॉ–बहन की जाति सूचक भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। विपक्षी अधिवक्ता होने के कारण प्रार्थिनी के सभी नात–रिश्तेदार का मोबाइल नम्बर

Digitally signed by CHINTA RAM
Date: 2026.08.18 17:38:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लेकर मुझे अपनी पत्नी बताता है, जिसका चैटिंग या गवाह साक्ष्य के रूप में मेरे पास मौजूद है। अतः विपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किया जाए। वादिनी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली अकबरपुर में उपरोक्त अभियुक्त अशोक कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध मु0अ0सं0 449/2026 धारा 69, 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द,ध व 3(2)v एससी/एसटी एक्टपंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। वादिनी मुकदमा प्रार्थी की वर्ष 2023 से क्लाइंट है और प्रार्थी वादिनी मुकदमा की पैरवी सुचारू रूप से करता रहा है। वादिनी मुकदमा के विरूद्ध अन्य अभियोग दर्ज हैं। वादिनी मुकदमा एक शातिर अपराधी है, वह प्रार्थी से अवैध तरीके से पैसे की मांग करती रही, प्रार्थी द्वारा मना करने पर रंजिशन इस मुकदमे में फंसाया गया है। प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया है न ही बलात्संग करने का प्रयास किया गया है, न ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली–गलौज दी गयी। प्रार्थी 53 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाया गया आरोप मिथ्या व बेबुनियाद है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन करेगा। अतः उसने स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन की ओर से केसडायरी के प्रासंगिक पर्चे एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने वादिनी मुकदमा/पीड़िता जो उसके साथ मुंशी का कार्य करती थी,को झांसा देकर व विश्वास में लेकर अपने किराये के कमरे में ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया और उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ लगातार बलात्संग करता रहा तथा घटना के दिनांक 03.01.2026 को पीड़िता पर जबरन बलात्संग करने का दबाव बनाया। पीड़िता द्वारा मना करने पर उसे मारापीटा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज देकर अपमानित किया। केसडायरी में अंकित पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर जबरदस्ती बलात्संग करने और जाति सूचक भद्दी–भद्दी गालियां दिये जाने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किये जाने और जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कारित अपराध प्रथम दृष्ट्या गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त एक अधिवक्ता है उसके द्वारा अपने नैतिकता से परे जाकर कृत्य किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण विशेष अधिनियम से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का मत है कि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अशोक कुमार त्रिपाठी की ओर से मु0अ0सं0–449/2026 अन्तर्गत धारा 69, 115(2), 352,351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द,ध व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–18.08.2026

(चिन्ता राम)
विशेष न्यायाधीश
एससी/एसटी एक्ट
अम्बेडकर नगर
जे.ओ.कोड यू.पी. 1767